PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः667 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / जी–4 दिनांकः 19 .05.2022

विषय :–मा0 मुख्यमंत्री जी के विभागीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता
पिटकुल.................... ।

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 355 / I–1 / 2022–05 / 38 / 2015 दिनांक 11.05.2022 के साथ संलग्न विशेष प्रमुख सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 03 / वि0प्र0सं0–मु0मं0 / सू0 / खेल / यु0क0 / 20 दिनांक 04.05.2022 की छायाप्रति आपको इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

सलग्नकः–यथोपरि।

19/05/2022
(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांकः / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / जी–4 तद्दिनांक
प्रतिलिपि :–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून के संज्ञानार्थ।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांकः / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / जी–4 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (परियोजना) / (परिचालन) / (वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि पत्र को संलग्नक सहित पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

सलग्नकः–यथोपरि।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

/34654/2022
/34654/2022

No. 1291 /MD/PTCUL/ 61 Dt. 18/5/22

संख्या : 355 /I-1/2022-05/38/2015

प्रेषक,

जे0पी0 मैखुरी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

उ0म0प्र0 (औ0सं0) / (अधि0)

सेवा में,

1. निदेशक, उरेडा, देहरादून।
2. प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0पा0का0लि0, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून।
5. सचिव, यू0ई0आर0सी0, देहरादून।
6. निदेशक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)।

प्रबन्ध निदेशक पिटकुल, देहरादून

ऊर्जा अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक : 11 मई, 2022

विषय :– मा0 मुख्यमंत्री जी के विभागीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में निर्गत निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के कम में विशेष प्रमुख सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन के संलग्न पत्र सं0–03/वि0प्र0सं0–मु0मं0/सू0/खेल/यु0क0/20 दि0–04–05–2022 को प्रषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी के विभागीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोक्त।

भवदीय,
Signed by Jagdamba Prasad Maikhuri
Date: 11-05-2022 17:55:28
(जे0पी0 मैखुरी)
अनु सचिव।

संख्या– /I-1/2022-05/38/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–

1. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–विशेष प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–सचिव, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. गार्ड फाईल।

(जे0पी0 मैखुरी)
अनु सचिव।

कार्यालय निदेशक (मा0स0)
पत्र प्राप्ति की दिनांक 18/5/2022 समय 5:07 pm
डायरी संख्या 666
प्राप्तकर्ता

HR/Admin./PTCUL/D...
Diary No. 4261
File
Date 18/05/22

Generated from eOffice by ASHISH JOSHI, ARO-AJ, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Energy Department on 12/05/2022 01:35 PM

अभिनव कुमार, भा.पु.से
विशेष प्रमुख सचिव
मा. मुख्यमंत्री, सूचना, खेल एवं युवा
कल्याण विभाग

उत्तराखण्ड शासन

4, सुभाष रोड,
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भवन
उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून
दूरभाष (कार्या.) : 0135-2650433
0135-2716262
मोबा. : 9999908703
पत्र सं. : 03 /वि.प्र.सं.–मु.मं./सू./खेल/यु.क./
देहरादून, दिनांक : 04 / 05 /2022

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कृपया समय–समय पर विभिन्न सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों/संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा अपने स्तर से कोई भी कार्यक्रम आयोजित किये जाते है तो कार्यक्रम के बारे में पूर्ण रूप से जानकारियाँ उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जिस कारण कार्यक्रम के प्रारम्भ अथवा समाप्ति के बाद मा0 मुख्यमंत्री जी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। उक्त विषयक पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सुदृढ़ व्यवस्था बनाने की अपेक्षा की गई है।

अतः भविष्य में किसी भी सरकारी संस्थानों, गैर संस्थानों/संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा अपने स्तर पर कार्यक्रम किया जाता है तथा उक्त कार्यक्रम में मा0 मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित किया जाता है, तो कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व में निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है :–

01. कार्यक्रम की तिथि एवं समय।
02. कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने का साधन/दूरी आदि।
03. कार्यक्रम स्थल का विवरण।
04. आयोजकों का विवरण/पृष्ठ भूमि।
05. मंच पर बैठने वालों का विवरण।
06. श्रोताओं का विवरण एवं संख्या।
07. पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची एवं उनकी पृष्ठ भूमि।
08. कार्यक्रम स्थल की विधान सभा की प्रमुख समस्याएं/लम्बित/पूर्ण घोषणाएं एवं भाषण सामग्री।
09. क्षण प्रतिक्षण (मिनट टू मिनट) कार्यक्रम/जलपान व्यवस्था सहित।
10. कार्यक्रम आयोजक करने वाले व्यक्ति/संस्था के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला/विवाद तो नहीं है तथा अन्य सामान्य आख्या।
11. पिछले एक माह में क्षेत्र में हुई कानून व्यवस्था/राजनैतिक विवाद के प्रकारण।
12. अन्य कोई महत्वपूर्ण बिन्दु।

अतः मा0 मुख्यमंत्री जी के अपेक्षानुसार मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्धारित कार्यक्रम से कम से कम दो दिन पूर्व उपरोक्त बिन्दुओं पर मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

(अभिनव कुमार)
विशेष प्रमुख सचिव

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव
मा0 मुख्यमंत्री, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा, श्रम एवं वित्त
उत्तराखण्ड शासन

(रंजना राजगुरू)
अपर सचिव
ऊर्जा विभाग

(विक्रम सिंह राणा)
संयुक्त सचिव
ऊर्जा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

Generated from eOffice by ASHISH JOSHI, ARO-AJ, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Energy Department on 12/05/2022 01:37 PM